

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उम्मीदवारों के लिए:

सामान्य जानकारी:

1. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना (पीएमआईएस) क्या है?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटरशिप के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक जीवन के व्यावसायिक वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उन्हें मूल्यवान कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों में युवाओं को एक करोड़ इंटरशिप प्रदान करना है।

2. इंटरशिप क्या है? मुझे इंटरशिप क्यों करनी चाहिए?

इंटरशिप इंटरन और कंपनी के बीच एक व्यवस्था है जिसमें कंपनी इंटरन को व्यवसाय या संगठन के वास्तविक जीवन के माहौल में प्रशिक्षण, अनुभव और कौशल प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है, और बदले में उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है।

3. प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के माध्यम से मुझे किस प्रकार की इंटरशिप मिलेगी?

योग्य उम्मीदवारों को आईटी और सॉफ्टवेयर विकास, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, तेल, गैस और ऊर्जा, धातु और खनन, एफएमसीजी (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), दूरसंचार, बुनियादी ढांचा और निर्माण, खुदरा और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, सीमेंट और निर्माण सामग्री, ऑटोमोटिव, फार्मास्युटिकल, विमानन और रक्षा, विनिर्माण और औद्योगिक, रसायन, मीडिया, मनोरंजन और शिक्षा, कृषि और संबद्ध, परामर्श सेवाएं, कपड़ा विनिर्माण, रत्न और आभूषण, यात्रा और आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में इंटरशिप मिलेगी। *विभिन्न क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने वाली कंपनियों को देखने के लिए यहां क्लिक करें।*

4. मुझे किस तरह की कंपनियों में इंटरशिप करने का मौका मिलेगा?

चयनित उम्मीदवारों को भारत भर की शीर्ष 500 कंपनियों के साथ इंटरशिप करने का अवसर मिलेगा। इन उद्योग-अग्रणी कंपनियों के साथ इंटरशिप करने से आपको बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने, नए कौशल हासिल करने और महत्वपूर्ण पेशेवर नेटवर्क बनाने का

मौका मिलेगा। कंपनी अपनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सप्लाई चेन और अपने समूह की अन्य कंपनियों में या अन्यथा इंटरशिप भी प्रदान कर सकती है।

5. इंटरशिप की अवधि क्या है?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप एक वर्ष (12 महीने) की अवधि के लिए होगी।

6. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान कक्षा में बैठूंगा?

इंटरशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा (6 महीने) वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में। जबकि इंटरशिप के एक निश्चित हिस्से में प्रासंगिक प्रशिक्षण शामिल होगा, आपकी इंटरशिप की एक महत्वपूर्ण अवधि (कम से कम 6 महीने) पेशेवर सेटअप में वास्तविक दुनिया के अनुभव पर केंद्रित होगी।

7. क्या मुझे इंटरशिप के बाद नौकरी मिलेगी?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना भारत में शीर्ष कंपनियों के साथ काम करके अपने कौशल को सीखने और बढ़ाने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हालाँकि यह योजना पूरी होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देती है, लेकिन इंटरशिप के दौरान आपके द्वारा विकसित ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और पेशेवर नेटवर्क आपके करियर की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देंगे।

पात्रता मापदंड:

8. क्या मैं प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

- आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आपकी आयु 21-24 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक)।
- आपको पूर्णकालिक रूप से नौकरी में नहीं होना चाहिए या पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं होना चाहिए (ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार पात्र हैं)।
- आपने अपना माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) या इसके समकक्ष, उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (एचएससी) या इसके समकक्ष पूरा किया होगा, या आपके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से प्रमाणपत्र, पॉलिटैक्निक

संस्थान से डिप्लोमा, या बीए, बीएससी , बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि जैसे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

[अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

9. क्या अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदवार प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

10. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो क्या मैं इंटरनशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

11. क्या विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है?

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना में औपचारिक आरक्षण प्रावधान नहीं है, लेकिन पोर्टल को विविधता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एल्गोरिदम एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया विविधता और समावेश पर जोर देती है, जिससे कंपनियों को अपने स्वयं के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने की अनुमति मिलती है, जबकि पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि इंटरनशिप के लिए विविध पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों पर विचार किया जाए। यह दृष्टिकोण कार्यक्रम में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद करता है।

अयोग्यता मानदंड:

12. प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए कौन पात्र नहीं है?

आप प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं यदि:

- आपकी आयु 21 वर्ष से कम या 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)।
- आप वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए हैं।
- आपने आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईडी या आईआईआईटी जैसे विशिष्ट संस्थानों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

- आपके पास उन्नत योग्यताएं जैसे सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, पीएचडी, या कोई मास्टर डिग्री या उच्च योग्यता (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त) हो।
- आप किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत कोई कौशल, प्रशिक्षता, इंटरशिप या प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं।
- आपने पहले ही राष्ट्रीय प्रशिक्षता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत प्रशिक्षता पूरी कर ली है।
- आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹8 लाख से अधिक है।
- आपके परिवार का कोई भी सदस्य (स्वयं, माता-पिता या पति/पत्नी) स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी है (अनुबंधित कर्मचारियों को छोड़कर)। "सरकार" में केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), वैधानिक संगठन और स्थानीय निकाय शामिल हैं।

[अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।](#)

13. यदि मैं ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार पाठ्यक्रम में नामांकित हूं तो क्या मैं इंटरशिप अवसर के लिए आवेदन कर सकता हूं?

हां, ऑनलाइन/दूरस्थ/पत्राचार शिक्षण कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं।

14. क्या मास्टर डिग्री होने से मुझे प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी?

मास्टर डिग्री या सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए जैसी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार पीएम इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के अवसर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता:

15. क्या मुझे इंटरशिप करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी?

इंटरशिप में शामिल होने के बाद, प्रत्येक इंटरन को 12 महीने की इंटरशिप की पूरी अवधि के लिए ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- साझेदार कंपनियां इंटरन की उपस्थिति और अच्छे आचरण आदि से संबंधित कंपनी की नीतियों के आधार पर हर महीने 500 रुपये जारी करेंगी।

- एक बार कंपनी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के बाद, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में 4,500 रुपये का भुगतान करेगी।
- इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा **₹6,000 का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा**। इंटरशिप में शामिल होने के बाद यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वितरित की जाएगी।
- भारत सरकार की बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी इंटरन को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।

16. क्या मुझे इंटरशिप की अवधि के दौरान यात्रा भत्ता या अन्य सहायता मिलेगी?

- भागीदार कंपनियाँ अपने विवेक के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता या कोई अन्य सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं। आपके द्वारा चुनी गई इंटरशिप में कोई अन्य लाभ जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी।
- इंटरशिप में शामिल होने के बाद प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार द्वारा ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान आपकी इंटरशिप यात्रा की शुरुआत में आपकी सहायता करने के लिए है।
- अपनी इंटरशिप के दौरान आपको ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी।

17. क्या इंटरशिप के बाद भी बीमा कवर जारी रहेगा?

नहीं, आपकी इंटरशिप पूरी होने पर बीमा का लाभ समाप्त हो जाएगा।

18. क्या मुझे अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता मिलेगी?

अवकाश अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

19. क्या मुझे अपनी इंटरशिप के लिए कपड़े खरीदने के लिए कोई वित्तीय सहायता मिलेगी?

कपड़ों की खरीद के लिए कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। हालाँकि, आपके इंटरशिप में शामिल होने के बाद, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में ₹6000 का एकमुश्त अनुदान हस्तांतरित किया जाएगा।

20. आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है?

विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक है। *आधार सीडिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ क्लिक करें*

आवेदन प्रक्रिया:

21. इंटर्न का चयन कैसे किया जाएगा?

इंटरन का चयन एक उद्देश्यपूर्ण, निष्पक्ष, सामाजिक रूप से समावेशी और तकनीक-संचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार पीएम इंटरनशिप पोर्टल (<https://pminternship.mca.gov.in/>) पर पंजीकरण करेंगे, अपना प्रोफाइल पूरा करेंगे, अपना सीवी तैयार करेंगे और उपलब्ध अवसरों की सूची में से अपनी प्राथमिकताएँ प्रस्तुत करेंगे।

- शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं और कंपनियों द्वारा पोस्ट की गई आवश्यकताओं पर आधारित होगी। शॉर्टलिस्टिंग मानदंड का उद्देश्य इंटरनशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। पोर्टल एससी, एसटी, ओबीसी के साथ-साथ दिव्यांगों सहित आबादी के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उपकरणों का उपयोग करता है।
- प्रत्येक इंटरनशिप के लिए प्रस्तावों की संख्या के आधार पर, लगभग दोगुने/तीनगुने नाम, उम्मीदवारों के बायोडाटा के साथ, चयन के लिए कंपनी को भेजे जाएंगे।
- इसके बाद वे उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उनके संबंधित चयन मानदंडों के आधार पर इंटरनशिप की पेशकश करेंगे।

22. पीएम इंटरनशिप योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुझे किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

पात्र अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पंजीकरण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए:

- आधार कार्ड
- शैक्षिक प्रमाण पत्र (पूर्णता / अंतिम परीक्षा / मूल्यांकन प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा)
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो (वैकल्पिक)

अन्य बातों के लिए स्व-घोषणा ही पर्याप्त होगी। किसी दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

23. मैं कितने इंटरनशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

अभ्यर्थी अधिकतम 5 इंटरशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

24. क्या मैं पोर्टल पर अपनी पांच इंटरशिप प्राथमिकताओं को बदल सकता हूँ?

हां, आप आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल पर अपनी पांच प्राथमिकताओं को जितनी बार चाहें बदल सकते हैं। हालाँकि, एक बार अपनी प्राथमिकताएँ सबमिट करने के बाद, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते।

25. यदि मुझे मेरे पांच पसंदीदा अवसरों में से किसी के लिए भी नहीं चुना गया तो क्या होगा?

यदि कोई अभ्यर्थी पांच में से किसी भी अवसर के लिए चयनित नहीं होता है तो वह प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के आगामी चक्रों के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

26. मुझे अधिकतम कितने इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं?

एक उम्मीदवार को अधिकतम दो इंटरशिप ऑफर मिल सकते हैं। एक बार ऑफर मिलने के बाद, उम्मीदवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफर को स्वीकार/अस्वीकार करना होगा।

27. यदि मैं उस इंटरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहता जिसके लिए मुझे चुना गया है तो क्या होगा?

अभ्यर्थी इंटरशिप के अपने प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी इंटरशिप को अस्वीकार करता है, तो वह प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के भविष्य के चक्रों में ही पुनः आवेदन कर सकेगा।

28. यदि मैं इंटरशिप ऑफर स्वीकार कर लूं तो मुझे अंतिम ऑफर लेटर कैसे मिलेगा?

आपका अंतिम ऑफर लेटर प्रधानमंत्री इंटरशिप पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और साथ ही आपके पंजीकृत ईमेल पते पर अनुलग्नक के रूप में भेजा जाएगा।

अन्य सहायता:

29. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की कोई गारंटी है?

नहीं, प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना इंटरशिप पूरी करने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं देती है। हालाँकि, कंपनियाँ उन इंटरन को रोजगार देने का विकल्प चुन सकती हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान असाधारण प्रदर्शन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरशिप की पेशकश मंत्रालय, कंपनी और इंटरन के बीच कोई संविदात्मक या कानूनी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं बनाती है। इसके अतिरिक्त, इंटरशिप को कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार के प्रस्ताव या वादे के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

30. क्या मैं इंटरशिप को 12 महीने से आगे बढ़ा सकता हूँ?

नहीं, इंटरशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

31. क्या मैं अपनी इंटरशिप के दौरान छुट्टियां ले सकता हूँ?

हां, आप साझेदार कंपनी की नीतियों के अनुसार छुट्टियां ले सकते हैं।

32. क्या मुझे छुट्टियाँ मिलेंगी?

हां, चयनित अभ्यर्थी अपनी कंपनी की अवकाश सूची के अनुसार छुट्टियों के लिए पात्र होंगे।

33. चिकित्सा या किसी अन्य आपातस्थिति में मैं क्या करूँ?

ऐसे मामलों में, साझेदार कंपनी की नीतियों के अधीन, प्रशिक्षुओं को दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

34. क्या मैं अवकाश के बाद पुनः इंटरशिप में शामिल हो सकता हूँ?

हां, यदि अवकाश दो महीने से अधिक न हो तो प्रशिक्षु पुनः शामिल होकर 12 महीने की इंटरशिप अवधि पूरी कर सकते हैं।

35. यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो तो क्या होगा?

यदि अवकाश दो महीने से अधिक है, तो प्रशिक्षु को इंटरशिप बंद करनी होगी। इसके बाद अभ्यर्थी अगले इंटरशिप ऑफर चक्र में फिर से आवेदन कर सकता है।

36. यदि मैं दो महीने से कम का अवकाश लेता हूँ, तो क्या मुझे फिर भी इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

हां, यदि अवकाश दो महीने से कम है, तो भी अभ्यर्थी को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार इंटरशिप पूरी होने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

37. क्या मैं चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति या पारिवारिक समस्याओं के अलावा अन्य कारणों से अवकाश का अनुरोध कर सकता हूँ?

पारिवारिक आपातस्थिति जैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या ऐसी ही अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में अवकाश दिया जा सकता है। इंटरन को अपनी विशिष्ट स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने पर्यवेक्षक या सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। ब्रेक देने या न देने का अंतिम निर्णय कंपनी पर निर्भर करेगा।

38. यदि मुझे इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़नी पड़े तो क्या होगा?

यदि कोई इंटरन इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसे अपने पर्यवेक्षक और कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करना होगा।

39. यदि मैं इंटरशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ दूँ (ड्रॉप आउट हो जाऊँ) तो क्या मुझे इंटरशिप प्रमाणपत्र मिलेगा?

नहीं, इंटरशिप बीच में छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं को इंटरशिप समाप्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।

40. क्या मैं अपनी वर्तमान इंटरशिप छोड़ने के बाद पुनः अन्य इंटरशिप के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

यदि आप अपनी वर्तमान इंटरशिप पूरी होने से पहले छोड़ देते हैं, तो आपको अपनी ज्वाइनिंग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पीएम इंटरशिप योजना के तहत किसी अन्य इंटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

41. क्या मैं एक वर्ष की अवधि के बाद इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूँ?

हां, इंटरशिप छोड़ चुके प्रशिक्षु एक वर्ष के बाद प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत इंटरशिप के लिए पुनः आवेदन करने के पात्र हैं।

42. क्या इंटरशिप शुरू होने से पहले कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा?

नहीं। प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना के तहत प्रत्येक इंटरशिप के हिस्से के रूप में प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

43. क्या इंटरशिप के दौरान कोई प्रदर्शन मूल्यांकन होता है?

हां, इंटरन का मूल्यांकन समय-समय पर उनके प्रदर्शन, उपस्थिति और कंपनी की नीतियों के पालन के आधार पर किया जाएगा। इंटरन को पेशेवर रूप से बेहतर बनाने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए फीडबैक प्रदान किया जाएगा। ये मूल्यांकन भागीदार कंपनियों द्वारा किए जाएंगे।

44. एक प्रशिक्षु के रूप में मैं किस तरह की परियोजनाओं पर काम करूंगा?

इंटरन कंपनी की जरूरतों और इंटरन के कौशल के आधार पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर काम करेंगे।

45. इंटरशिप के दौरान मुझे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

कंपनी के आधार पर ड्रेस कोड की आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। आम तौर पर, इंटरन से पेशेवर तरीके से कपड़े पहनने और कंपनी की ड्रेस कोड नीतियों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

46. क्या इंटरशिप पूरी करने के बाद मुझे प्रमाण पत्र मिलेगा?

हां, सफलतापूर्वक इंटरशिप पूरी करने वाले इंटरन को साझेदार कंपनियों से पीएम इंटरशिप योजना के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

47. मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता देगा?

मंत्रालय प्रशिक्षुओं को उनके असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

48. मेरी शिकायत या प्रश्नों का समाधान कैसे होगा?

इंटरन अपनी शिकायतें या प्रश्न इंटरनेशिप पोर्टल पर चैटबॉट सहित शिकायत निवारण उपकरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर उपलब्ध होगा। यह प्रणाली प्रश्नों के आसान पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रेकिंग और समाधान की स्थिति पर अपडेट की सुविधा प्रदान करेगी।

उद्योग/कंपनी के लिए:

भागीदारी के लिए मानदंड

49. प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के लिए शीर्ष 500 कंपनियों को सूचीबद्ध करने के मानदंड क्या हैं?

मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है।

50. मेरी कंपनी 500 कंपनियों की प्रारंभिक सूची में शामिल नहीं है। क्या हम फिर भी प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना में भाग ले सकते हैं?

हां, शुरुआती 500 कंपनियों में शामिल न होने वाली कंपनियां, बैंक या वित्तीय संस्थान भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। हालांकि, उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी, जो योजना में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के आधार पर उनके समावेश का आकलन करेगा।

51. मेरी कंपनी सीधे इंटरनेशिप प्रदान नहीं कर सकती। मेरे पास और क्या विकल्प हैं?

यदि कोई कंपनी सीधे तौर पर इंटरनेशिप के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है, तो वह निम्नलिखित के साथ गठजोड़ करके प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना में भाग ले सकती है:

- इसकी अग्रिम या पश्चवर्ती आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कम्पनियां (जैसे, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक या विक्रेता)।
- इसके समूह के अंतर्गत अन्य कम्पनियाँ या संस्थाएँ।

इंटरनेशिप विवरण:

52. क्या इंटरनेशिप 12 महीने से अधिक बढ़ाई जा सकती है?

इंटरनेशिप की अवधि 12 महीने निर्धारित है। प्रधानमंत्री इंटरनेशिप योजना के तहत इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

53. क्या कम्पनियों के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है?

हां, कंपनियों के लिए इंटर्न को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य वातावरण में व्यतीत हो, न कि प्रशिक्षण में।

54. क्या कम्पनियों को प्रशिक्षुओं को पर्यवेक्षक या मार्गदर्शक नियुक्त करना अनिवार्य है?

हां, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न को जॉइन करने पर पर्यवेक्षक या सलाहकार नियुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को प्रत्येक इंटर्न के सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को प्रदान करने या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

55. क्या प्रशिक्षु मौजूदा श्रम कानूनों के तहत कर्मचारी के रूप में योग्य हैं?

यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटर्नशिप की पेशकश मंत्रालय, या संबंधित कंपनी और चयनित इंटर्न के बीच नियोक्ता-कर्मचारी के किसी भी संविदात्मक या कानूनी सम्बन्ध को स्थापित नहीं करेगी। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि इंटर्नशिप की ऐसी पेशकश को न तो इंटर्नशिप की अवधि के दौरान या उसके बाद कंपनी या मंत्रालय द्वारा भविष्य में रोजगार की पेशकश या वादे की प्रकृति में माना जा सकता है। इसके अलावा, श्रम मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.09.2024 में स्पष्ट किया है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के प्रयोजन के लिए, इंटर्न को कर्मचारियों के समकक्ष नहीं माना जाएगा। उक्त कार्यालय ज्ञापन अनुलग्नक- 1 में संलग्न है।

इंटर्न को वित्तीय सहायता:

56. प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या होगा?

प्रशिक्षुओं को 12 महीने की पूरी इंटर्नशिप अवधि के दौरान ₹5,000 की मासिक सहायता मिलेगी। इस राशि में से:

- कंपनी इंटर्न की उपस्थिति, आचरण और संबंधित कंपनी नीतियों के आधार पर अपने सीएसआर फंड से हर महीने 500 रुपये जारी करेगी।
- इसके बाद सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए इंटर्न के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे 4,500 रुपये का भुगतान करेगी। कंपनी अपने स्वयं के फंड से अतिरिक्त मासिक सहायता प्रदान कर सकती है।

57. क्या कोई कंपनी इंटरन को मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान कर सकती है?

हां, यदि कोई कंपनी मासिक सहायता के रूप में ₹500 से अधिक प्रदान करना चाहती है, तो वह सीएसआर फंड द्वारा कवर किए गए ₹500 के अतिरिक्त, अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।

इंटरन के लिए बीमा कवरेज:

58. क्या कम्पनियां प्रशिक्षुओं को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

नहीं, कंपनियाँ इंटरन को बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। प्रत्येक इंटरन को भारत सरकार की बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाएगा:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

इन बीमा योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कंपनी प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने का विकल्प चुन सकती है।

59. कंपनियां इंटरनशिप के अवसर कैसे पोस्ट कर सकती हैं?

साझेदार कंपनियों को पोर्टल पर एक समर्पित डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा, जहां वे सीधे अपने इंटरनशिप अवसरों को पोस्ट कर सकते हैं।

इंटरनशिप पोस्टिंग:

60. इंटरनशिप पोस्टिंग में क्या जानकारी शामिल होनी चाहिए?

इंटरनशिप पोस्टिंग में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

- इंटरनशिप का स्थान
- इंटरनशिप की भूमिकाएं और कार्य
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक
- कंपनी द्वारा प्रदान की गई कोई भी सुविधा (जैसे, आवास, परिवहन, भोजन आदि)

61. क्या साझेदार कंपनियां अपने पोस्ट किए गए इंटरनशिप अवसरों को संपादित या हटा सकती हैं?

हां, अवसर की प्रारंभिक पोस्टिंग में किसी भी त्रुटि के मामले में भागीदार कंपनियों के पास इंटरनशिप अवसर को हटाने या संपादित करने का विकल्प होगा। हालांकि, यह

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन इंटरनेट अवसर पोस्ट करने के लिए निर्दिष्ट विंडो के भीतर किए जाने चाहिए।

62. पोर्टल पर कंपनी द्वारा किस प्रकार की इंटरनेट भूमिकाएं पोस्ट की जा सकती हैं?

कंपनी को उन इंटरनेट भूमिकाओं को पोस्ट करना चाहिए जो इंटरनेट के कौशल विकास को प्रोत्साहित करें। कंपनियों को उन भूमिकाओं के लिए इंटरनेट की पेशकश नहीं करनी चाहिए जिनमें कौशल शामिल नहीं है, जैसे सफाई, डिलीवरी, कुली, सुरक्षा गार्ड, या ऑफिस बॉय।

63. कंपनी किसी इंटरनेट की योजना में भागीदारी की पुष्टि कैसे करती है?

जब कोई इंटरनेट इंटरनेट में शामिल हो जाता है, तो कंपनी को पोर्टल पर उनकी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।

64. क्या कंपनियों के पास इंटरनेट के दुर्व्यवहार/कम प्रदर्शन/अनुपस्थिति के मामलों से निपटने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है?

हां, प्रशिक्षुओं को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि किसी भी दुर्व्यवहार/दुर्व्यवहार/अनुपस्थिति के मामले में, कंपनी उनकी इंटरनेट समाप्त कर सकती है। शिकायत निवारण तंत्र के एक भाग के रूप में, कंपनी से एक नोडल व्यक्ति को पीएम इंटरनेट योजना पोर्टल के माध्यम से ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

65. क्या कंपनियों को प्रशिक्षुओं की निगरानी और मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता होगी?

हां, कंपनियां इंटरनेट के प्रदर्शन का आकलन करने और उन्हें नियमित फीडबैक देने के लिए निगरानी और मूल्यांकन ढांचा तैयार कर सकती हैं। इस तंत्र का उपयोग इंटरनेट की भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर निर्णय लेने के लिए भी किया जा सकता है।

66. इस योजना के लिए प्रशिक्षुओं की भर्ती के स्रोत क्या हैं?

कंपनी केवल निर्दिष्ट पोर्टल से ही इंटरनेट की भर्ती कर सकती है। कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नौकरी विवरण से मेल खाने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची पोर्टल पर दिखाई देगी। पोर्टल का एल्गोरिदम उम्मीदवारों की संभावित सूची को दर्शाएगा, जो इंटरनेट के अवसरों की संख्या से लगभग दोगुनी या तिगुनी होगी। कंपनियां पोर्टल से उम्मीदवारों का चयन करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती हैं।

67. क्या इंटरनेट का प्रस्ताव नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बनाता है?

नहीं, इंटरनेट प्रस्ताव मंत्रालय, संबंधित कंपनी और चयनित इंटरनेट के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित नहीं करता है।

68. क्या इंटरनेट प्रस्ताव को भविष्य में रोजगार का वादा माना जा सकता है?

नहीं, इंटरशिप प्रस्ताव को संबंधित कंपनी या मंत्रालय द्वारा इंटरशिप अवधि के दौरान या उसके बाद भविष्य में रोजगार देने के वादे के रूप में नहीं समझा जा सकता।

69. क्या प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है?

हां, प्रशिक्षुओं को संस्थान के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिनमें समय, छुट्टियां, अवकाश, आचरण और अनुशासन से संबंधित नियम शामिल हैं।

प्रदर्शन की मान्यता:

70. कम्पनियां उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कैसे मान्यता दे सकती हैं?

कम्पनियाँ उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को कई तरीकों से सम्मानित कर सकती हैं, जैसे:

- कंपनी की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना।
- उन्हें कंपनी के समाचारपत्रों या सफलता की कहानियों में शामिल करना।
- पुरस्कार या प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- आगे के विकास या उन्नति के अवसर प्रदान करना

71. मंत्रालय कम्पनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर कैसे मान्यता देगा?

मंत्रालय असाधारण प्रदर्शन, नवाचार और अन्य मानदंडों के आधार पर कम्पनियों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करेगा।

इंटरशिप छोड़ने के मामले:

72. यदि कोई इंटरन इंटरशिप पूरी होने से पहले ही वापस ले लेता है या छोड़ देता है तो क्या होगा?

यदि कोई इंटरन वापस ले लेता है या काम छोड़ देता है, तो कंपनी को इंटरन को "ड्रॉपआउट" के रूप में चिह्नित करके पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह जानकारी देनी चाहिए। इससे उम्मीदवार को आगे भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

73. किसी इंटरन को ड्रॉपआउट मानने के सामान्य मानदंड क्या हैं?

किसी इंटरन को ड्रॉपआउट माना जा सकता है यदि वह:

- अचानक और बिना किसी सूचना के उनकी इंटरशिप आवश्यकताओं पर ध्यान देना बंद कर दें।
- अपने गुरु या पर्यवेक्षक द्वारा दो बार संवाद करने के प्रयास के बावजूद प्रतिक्रिया देने या पुनः शामिल होने में असफल होना।
- आगे जारी रखने की अनिच्छा व्यक्त करें।

इंटरनेट के तौर-तरीके:

74. क्या कंपनी के दिशानिर्देश प्रशिक्षुओं की छुट्टी नीति को नियंत्रित करेंगे?

हां, इंटरनेट के लिए छुट्टी नीति कंपनी के आंतरिक दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी। इसमें बीमारी की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और अन्य प्रकार की छुट्टियों के लिए नीतियां शामिल हो सकती हैं।

75. क्या इंटरनेट अवकाश ले सकते हैं?

चिकित्सा आपातस्थिति या पारिवारिक आपातस्थिति जैसी असाधारण परिस्थितियों में, प्रशिक्षुओं को कंपनी की नीतियों और/या मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दो महीने तक का अवकाश दिया जा सकता है।

76. क्या अवकाश के दौरान प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता मिलेगी?

अवकाश अवधि के दौरान कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

77. यदि किसी इंटरनेट की अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाए तो क्या होगा?

यदि अवकाश अवधि दो महीने से अधिक हो जाती है, तो प्रशिक्षु को अपनी इंटरनेट बंद करनी होगी और अगले इंटरनेट प्रस्ताव चक्र में पुनः आवेदन करना होगा।

78. क्या कंपनियां आवास, परिवहन, कैटीन आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?

कंपनियों को इंटरनेट को आवास, परिवहन या कैटीन जैसी सुविधाएं प्रदान करने की बाध्यता नहीं है। हालांकि, अगर वे इसे आवश्यक या लाभकारी मानते हैं तो उनके पास ये सुविधाएं प्रदान करने की लचीलापन है।

समाप्ति का प्रमाणपत्र:

79. क्या कम्पनियों को प्रशिक्षुओं को कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र प्रदान करना होगा?

हां, कंपनियों को इंटरनेट को पूरा होने का प्रमाण पत्र देना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाण पत्र केवल भागीदार कंपनी द्वारा ही वितरित किया जाए।

पोर्टल प्रश्न:

80. उद्योग/कंपनी की ओर से किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं को पोर्टल तक पहुंचने की अनुमति है?

निम्नलिखित उपयोगकर्ता प्रकारों को पोर्टल तक पहुंच प्राप्त है:

- कंपनी व्यवस्थापक: कंपनी प्रोफ़ाइल स्थापित करने और कंपनी और नेटवर्क संस्थाओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और कंपनी की इंटरनेट योजना की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार।

- नोडल अधिकारी: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है, इंटरशिप योजना का प्रबंधन करता है, मानव संसाधन नियुक्त करता है, और शिकायतों का निपटारा करता है।
- मानव संसाधन: इंटरशिप पोस्टिंग का प्रबंधन, आवेदनों की देखरेख, तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
- पर्यवेक्षक/संरक्षक: प्रशिक्षुओं के लिए संपर्क बिंदु। प्रशिक्षुओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, सीखने और विकास तथा कार्यप्रवाह के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।

81. नोडल अधिकारी की भूमिका क्या है?

नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री इंटरशिप योजना से संबंधित सभी संचार के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। वे कंपनी की इंटरशिप योजना का प्रबंधन करते हैं, एचआर नियुक्त करते हैं, और शिकायतों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

82. एक मानव संसाधन विभाग को कितने प्रशिक्षु नियुक्त किये जा सकते हैं?

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) प्रत्येक 100 इंटरन के लिए 1 एचआर के अनुपात की सिफारिश करता है।

83. क्या नेटवर्क संस्थाएं मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट कर सकती हैं?

नहीं, समूह की कंपनियाँ, सहायक कंपनियाँ, संबद्ध ठेकेदार, विक्रेता और वितरक मूल कंपनी की ओर से इंटरशिप पोस्ट नहीं कर सकते। वे केवल अपने संगठन के लिए ही इंटरशिप पोस्ट कर सकते हैं।

84. कंपनी प्रशासक उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को कैसे देख सकते हैं?

एडमिन उपयोगकर्ता किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा मूल कंपनी या समूह इकाई के विरुद्ध सिस्टम में दर्ज शिकायतों की जांच कर सकता है।

85. क्या मानव संसाधन उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं?

हां, एचआर उपयोगकर्ता अपनी कंपनी के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की संख्या देख सकते हैं।

No.S-65025/01/2024-SS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Social Security Division

Shram Shakti Bhawan, New Delhi
Dated 27th September, 2024

Office Memorandum

Subject:- Legal clarification for the PM Internship Scheme regarding applicability of Labour Laws on Interns-reg.

The undersigned is directed to refer to Ministry of Corporate Affairs' communication No. F. No. CSR-13/29/2024 dated 18.09.2024 on the above mentioned subject and to state that the issue has been examined in the light of provisions of EPF & MP Act, 1952, in consultation with EPFO.

2 It is stated that EPF contribution is payable in respect of employees employed for wages in accordance with the terms of the contract employment (section 2(f) and 2(b) of the Act). The Payment of Wages Act 1936 also, states that wages are paid in accordance with terms of employment, express or implied.

“Thus, the terms of engagement of a person with an establishment is the crucial determinant whether the amount being paid will qualify as wages or not.”

3. Reference is also invited to M/o Corporate Affairs' letter dated 18.09.2024 wherein it has been stated as *“The internship would not entail employment for wages in any kind of work. Further, the internship allowance of Rs 4500 is to be paid by the Government of India directly to the account of the intern”*.

4. In view of the aforesaid provisions and above observation of M/o Corporate Affairs, for the purpose the PM Internship Scheme (PMIS), *prima-facie* interns do not qualify as employees.

This issues with the approval of Competent Authority.



(Sudesh Kumar)

Under Secretary to the Govt. of India
e-mail : sudesh.kumar73@nic.in
Tel. No. 011-23473009

To

Ministry of Corporate Affairs
(Ms Himani Sharma, Assistant Director)
Himani.sharma25@gov.in
5th Floor, A Wing, Shastri Bhawan, Dr RP Road, New Delhi.